


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:कार्यालय आदेश:—

वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक-एफ 6(6) ग्रुप-2/एफ.डी./रुल्स/2010 दिनांक 25.04.2012 के अन्तर्गत, मेडिकल बोर्ड की अभिशंषा के आधार पर निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) को उनके विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृति दिनांक से मूल वेतन का छः प्रतिशत (6%) की दर से जो रूपये 600/- (अखरे रूपये छः सौ मात्र) से अधिक नहीं हो, का विकलांग वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान	विषय	विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी करने वाला बोर्ड	विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृति दिनांक
1	श्री सोहनलाल डोडवाड़िया - राउमावि, सिहोड़ी, सीकर	भूगोल	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर	08.02.2020
2	श्री रामजस कुमावत - राउमावि भरनी, टोंक	भूगोल	राजकीय चिकित्सालय, टोंक	16.03.2020
3	श्री खुशवन्त कच्छवाह - राउमावि, ओर, आबूरोड़, सिरोही	भूगोल	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कैंप, आबूरोड़, सिरोही	20.05.2020

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों का उपभोग करने की अवधि का यथा प्रीष्पावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा लम्बित अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/विकलांग वाहन भत्ता/2018/2020

दिनांक : 09/06/2020

⇒ प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय)
3. संबंधित संस्था प्रधान
4. संबंधित कार्मिक
5. सिस्टम एनालिसिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ
6. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर